शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 316 /आठ–1–24–511/2023

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

2. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 07 मई, 2024**

विषयः–अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहरों के विकास के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कराये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के प्रस्ताव के सम्बंध में।

महोदय,

अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत शहरों के विकास के दृष्टिगत गत वित्तीय वर्षो में विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव प्रायः शासन को विलम्ब से उपलब्ध कराये जाते है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्राप्त इन प्रस्तावों पर कार्यवाही किए जाने में कठिनाई होती है। वित्त विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराये जाने वाले कार्यो की कार्ययोजना बनाते हुए उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त प्रस्तावों को कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने एवं प्रायोजना का मूल्यांकन कराने आदि में समय लगना स्वभाविक होता है। इसके दृष्टिगत यह उचित होगा कि प्रत्येक प्राधिकरण अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–834/आठ–1–19–58 बजट/2018 दिनांक 06.06.2019 में अनुमन्य जनोपयोगी एवं आवश्यक कार्यो के प्रस्ताव समय से तैयार करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें।

2– अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अवस्थापना सुविधाओं के विकास मद के अन्तर्गत अपने–अपने प्राधिकरण से सम्बंधित जनोपयोगी एवं आवश्यक कार्यो का प्रस्ताव तैयार करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को 01 माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

7/5/24

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

GO-S.G-R